पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध सं. 86700

शास्त्रीनगर थाना कांड सं.- 84/2016 जिला-पटना से उत्पन्न मामला

==========

अमित कुमार यादव ऊर्फ राजू यादव, पुत्र- चंडी यादव, निवासी-हथौरी, थाना -हायघाट, जिला-दरभंगा

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. विजय प्रसाद, पुत्र- काशी नाथ प्रसाद, निवासी- बरुही, थाना -साहार, जिला-भोजपुर, वर्तमान में 44/2 महेश नगर, पटेल नगर, एल.बी.एस. नगर, थाना -शास्त्री नगर, जिला-पटना में रहते हैं।

.....विपक्षी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री समरेंद्र कुमार झा,अधिवक्ता

विपक्षी/दलों के लिए : सुश्री अनीता कुमारी, सहायक लोक अभियोजक

==========

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 363 और 366A—संज्ञान आदेश का खंडन—पीड़िता ने धारा 164 के तहत अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने याचिकाकर्ता के साथ अपनी इच्छाशक्ति से विवाह किया और वे खुशी से एक साथ रह रहे हैं—याचिकाकर्ता और पीड़िता के दो बच्चे हैं—पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में शपथपत्र दिया, जो अब उसका पति है—पक्षकार के बीच समझौता स्वैच्छिक स्वभाव का है और इस प्रकार निचली अदालत के समक्ष वर्तमान कार्यवाही को जारी रखने से केवल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा—आक्षेपित आदेश निरस्त और रद्द किया गया—याचिका स्वीकार की गई।

(पैराग्राफ 7 से 11)

*(2022) 14 एससीसी 531—**निर्भर किया गया**।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः20-02-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एपीपी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना ।

2. वर्तमान आवेदन 2016 के शास्त्री नगर थाना कांड सं0-84/2016 (जी. आर संख्या 1350/2016) के संबंध में प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, पटना द्वारा पारित दिनांक 22.08.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366-ए (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत संज्ञान लिया है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, सूचक/ओ.पी. संख्या 2, अर्थात विजय प्रसाद के अनुसार यह है कि 22.02.2016 को दोपहर 2:00 बजे, उनकी बेटी, अर्थात्, निधि कुमारी उर्फ सोनालीका वर्मा अपनी पढाई करने गई थी, लेकिन वह शाम तक वापस नहीं आई। पूछताछ करने पर, कुछ लोगों ने बताया कि उसे आरवीआई गैस कार्यालय के पास पार्क में देखा गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी कक्षा-10 वीं का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, एटीएम, 15 ग्राम सोने के आभूषण और एक मोबाइल लेकर घर से चली गई।

4. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामला पीड़ित के पिता द्वारा भ्रमित होकर दर्ज कराया था, जबकि पीड़ित ने बरामद होने के

बाद 23.06.2016 पर अपना बयान दर्ज किया जिसमें कहा गया था कि वह किसी भी परिवार के सदस्य को सूचित किए बिना अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता के साथ गई थी और अगले दिन, उसने दरभंगा के मंदिर में याचिकाकर्ता के साथ शादी कर ली। यह निवेदन किया गया कि शादी के बाद, उसे याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और जब उसने डेढ़ महीने के बाद अपने माता-पिता को फोन किया, तो उसे पता चला कि वर्तमान अपहरण का मामला याचिकाकर्ता/पति के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसके पिता ने उसे अपने माता-पिता के घर पुलिस को बयान देने के लिए बुलाया , और इस तरह, वह पुलिस के पास आई और 22.06.2016 पर अपना बयान दर्ज कराया।

5. यह आगे समर्पित किया जाता है कि विपक्षी सं0 2 / पिडिता याचिकाकर्ता के साथ पत्नी के रूप में खुशी से रह रही हैं और उनके दो बच्चे भी हैं।यह बताया गया है कि पीड़िता स्वयं इस रद्दीकरण याचिका का प्रतिनिधि है।

6. प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। पीड़िता के बयान के अनुसार, अब सुचक, जो कोई नहीं बल्कि उसके पिता भी इस शादी से खुश दिखाई देते हैं।

7. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपास्त करने की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथित अपराध गैर-शमनीय हैं, लेकिन द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि उसने अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता के साथ शादी की और खुशी से एक साथ रह रही थी।

8. इस स्तर पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध प्रासंगिक पैराग्राफ को पुनः समर्पित करना उचित होगा। **रामगोपाल और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2022) 14 एस. सी. सी. 531],** जो ये निम्नानुसार हैं:

"19. इस प्रकार हम संक्षेप में यह मानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के विपरीत, जहां न्यायालय वैधानिक ढांचे के भीतर "शमनीय" अपराधों के संबंध में पक्षों के बीच समझौते द्वारा पूरी तरह से निर्देशित है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित असाधारण शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की सीमा से परे लागू किया जा सकता है। फिर भी, हम दोहराते हैं कि व्यापक आयाम की ऐसी शक्तियों का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए किः

19.1. समाज की अंतरात्मा पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव;

19.2.चोट की गंभीरता, यदि कोई हो

19.3. अभियुक्त और पीड़िता के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति; और

19.4. अभियुक्त व्यक्तियों का आचरण, कथित अपराध और/या अन्य प्रासंगिक विचारों की घटना से पहले और बाद में।"

9. अब, इस मामले के तथ्य पर आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर में कोई संदेह नहीं जताया गया था, जिसके साथ पीड़िता ने अपनी मर्जी से शादी की थी। वे दो बच्चों के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं। पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में शपथ पत्र दिया था, जो अब उसका पति है। ऐसा

प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच स्वेच्छा से समझौता और इस प्रकार निम्न न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाही जारी रखना केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

10. तदनुसार, शास्त्री नगर पी.एस. केस संख्या 84/2016 (जी.आर. संख्या 1350/2016) के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा दिनांक 22.08.2016 को पारित संज्ञान आदेश को एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है।

11. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।